an>

Title: Regarding providing reservation on the basis of economic condition.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदया, संविधान निर्माताओं ने देश के दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को समान स्तर पर लाने के लिए आरक्षण की सुविधा दी और पूरी दुनिया के सामने एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। लेकिन पिछले सत्तर सालों में ऐसा अनुभव हुआ कि कुछ ऐसी जातियां जो अनारक्षित वर्ग के हैं, ऐसे समाज में रोजगार के अवसर में असमानता के कारण और आर्थिक विÂषमता के कारण से लोग पिछड़ते जा रहे हैं। उन युवकों में आरक्षित वर्ग के प्रति द्वेÂष की भावना का उदय हो रहा है। इस कारण से देश के विभिन्न प्रांतों में जैसे राजस्थान में राजपूत, वैश्य, माली, कायस्थ, सिंधी और पंजाबी लोग आंदोलनरत हैं। गुजरात में पट्टीदार आंदोलन की हमने तपिश देखी है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जाट आंदोलनरत हैं, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कापू जाति आंदोलनरत हैं।

देश की सभी पॉलिटीकल पार्टी ने ऐसे गरीब तबकों को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिलाने के लिए अपने मैनिफेस्टो में भी इसका उल्लेख किया है, इसका संकल्प किया है। माननीय अटल जी की सरकार में ग्रुप्स ऑफ मिनिस्टर की अनुशंसा पर एक कैबिनेट नोट भी आया था। यूपीए के समय की सिनो कमेटी की रिपोर्ट बनी लेकिन उस रिपोर्ट को अभी तक टेबल नहीं किया गया है। जिस तरह से जीएसटी का संविधान संशोधन विधेयक पारित किया है उसी तर्ज पर देश के सभी पॉलिटीकल पार्टियों को बीच में समन्वय स्थापित करते हुए आगामी शीतकालीन सत्र में इस आशय का संविधान संशोधन विधेयक लाया जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री शरद त्रिपाठी और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा उठाए गए विÂषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

माननीय अध्यक्ष : इस विÂाय को 193 में बोलिए, यह लंबा विÂषय है, यह जीरो ऑवर का विÂषय नहीं है।